राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – सुरेन्द्र प्रसाद

(आर0ए0एस0)

रजू दिनांक
18.08.2023

निर्णय दिनांक
13.07.2024

// उनवान //

1. तूलीराम पुत्र श्री बहादुर उम्र करीब साल जाति गुजर निवासी गम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज०

---वादी

// बनाम //

1. मनोहर
2. मीनाराम पुत्रान प्रयागाराम
3. हरनारायण
4. हरकिशन पुत्रान तेजाराम
5. यादराम
6 दाताराम
7. अनोपसिह
8. प्रकाश
9. सांवत पुत्रान बीरबल जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज०

– असल प्रतिवादीगण

10. बहादुर पुत्र टोडा जाति गुर्जर निवासी ग्राम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज०

:– तरतीबी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थित :– श्री कप्तान सिंह यादव वकील वादी
श्री अरुण पंडित वकील प्रतिवादी

// निर्णय //

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश प्रस्तुत की गई। वादीगण के वकील उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त मे कथन इस प्रकार से है कि – आराजी हाल खसरा नम्बर 150/2. 5800 इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से व नकल नक्शा ट्रेस तक संलग्न प्रार्थना पत्र है विवादित आराजी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्डस मे अमल दरामद हो रहा है। अप्रार्थीगण लडाकू वो मुठमर्द प्रवृति के है जो कि कानून कायदो की कतई परवाह नही करते है। असल अप्रार्थीगण का मिन वादी की विवादित आराजी से कभी भी किसी भी प्रकार का सम्बंध वो सरोकार नही रहा है और ना अब है वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। परन्तु मिन प्रार्थी की विवादित आराजी से लगता हुआ आम रास्ता डामरीकरण सडक पी० डब्लू० डी० की है जिसका खसरा नम्बर 169 है। इस रिकोर्डड आम रास्ता पर पर मिन वादी की विवादित आराजी के सामने इन अप्रार्थीगण ने अपने ईंधन छडे व गोबर खाद की कूडी डालकर इस आम रास्ता को अवरूद्ध कर अपना अतिक्रमण किया हुआ था जिसकी शिकायत मिन वादी ने श्रीमान तहसीलदार साहब, मुण्डावर के यहाँ की जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब, मुण्डावर ने इन प्रतिवादीगणो को अतिकमी मानते हुये इनको नोटिस जारी कर तामील कराकर इनको विधिवत रूप से सुना जाकर इन प्रतिवादीगणो के खिलाफ 91 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुये इनका विवादित आराजी से व इस रिकोर्डड आम रास्ता डामरीकरण सडक से उक्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही दिनाक 4/8/23 को शुरू की गई। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 150 व 170 के मध्य में स्थित आराजी खसरा नम्बर 169 किस्म गै० मु० सडक से लगभग 65 मीटर दूरी तक दोनो ओर से अतिक्रमण हटाया जा चुका था वक्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के दौरान अत्यधिक बरसात होने के कारण शेष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। जिसका मौका पर्चा भी तैयार किया गया जो मौका पर्चा दिनाकित 4/8/23 सलग्न वादपत्र है। अब दिनांक 14/8/23 को प्रतिवादीगणो ने मिन वादी को ऐलानिया तौर पर यह धमकियों दी कि तूने जो हमारे खिलाफ शिकायत कर हमारा अतिमक्रमण हटवाया है अब हम तेरी आराजी विवादित के सामने व इस रिकोर्डड आम रास्ता सडक पर अपना और अतिक्रमण करेगे और तेरी विवादित आराजी पर हम अपना जबरन कब्जा करेंगे तुझे जब्रन बेंदखल करेगे तुझे काश्त नहीं करने देगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादो मे कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पड़ेगा। दीगर मुकदमाबाजी में फँसना पड़ेगा। अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो मे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

की आँकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादी असल प्रतिवादीगण को जरिये हुकमईम्तनाईदवामी के पाबंद करवाने का अधिकारी हूँ सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति मिन वादी को प्रार्थना है कि असल प्रतिवादीगणो को जरिये हुकमईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी आराजी हाल खसरा नम्बर 150/2. 5800 हैक्टयर ग्राम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० पर अपना जब्रन कब्जा करेना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल करे ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे मौका की यथास्थिति कायम रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को द्वारा नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी संवत 2071 2074 नकल ट्रेस नकल मौका पेश किये गये है।

पत्रावली वास्ते बहस रखी गई । वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित हमने वकील उपभयपक्षकारान की बहस सुनी। विद्ववान वकील अप्रार्थी का मौखिक कथन है कि प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कन्फर्म कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी के विद्ववान वकील की बहस पर मनन किया। मिन प्रार्थी की विवादित आराजी से लगता हुआ आम रास्ता डामरीकरण सडक पी० डब्लू० डी० की है जिसका खसरा नम्बर 169 है। इस रिकोर्डड आम रास्ता पर पर मिन प्रार्थी की विवादित आराजी के सामने इन अप्रार्थीगण ने अपने ईंधन छडे व गोबर खाद की कूडी डालकर इस आम रास्ता को अवरूद्ध कर अपना अतिक्रमण किया हुआ था जिसकी शिकायत मिन प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब, मुण्डावर के यहाँ की जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब, मुण्डावर ने इन अप्रार्थीगण को अतिकमी मानते हुये इनको नोटिस जारी कर तामील कराकर इनको विधिवत रूप से सुना जाकर इन अप्रार्थीगण के खिलाफ 91 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुये इनका विवादित आराजी से व इस रिकोर्डड आम रास्ता डामरीकरण सडक से उक्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही दिनाक 4/8/23 को शुरू की गई। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 150 व 170 के मध्य में स्थित आराजी खसरा नम्बर 169 किस्म गै० मु० सडक से लगभग 65 मीटर दूरी तक दोनो ओर से अतिक्रमण हटाया जा चुका था वक्त अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के दौरान अत्यधिक बरसात होने के कारण शेष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। जिसका मौका पर्चा भी तैयार किया गया जो मौका पर्चा दिनाकित 4/8/23 सलग्न है।

यह है कि वर्तमान मे हम प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का निर्णय करने जा रहे है जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र मे तीनो बिन्दुओ पर देखा जाना हेाता है जो निम्न प्रकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी की आराजी है। सम्पत्ति के स्वामी के जीवित

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

रहते हुये किसी अन्य का कोई हक उत्पन्न नही होता । इस प्रकार से विवादित आराजी प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी है। जिससे अप्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही पाया जाता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है प्रार्थी की सम्पत्ति का उपयोग उपभोग कोई अन्य नही कर सकता है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी पक्ष मे है। खातेदार के खिलाफ टी आई जारी नही हो सकती । प्रार्थी सं0 1 को खातेदारी की आराजी के बाबत पाबन्द किया जाने से उसके हक व हकुक पर प्रभाव पडेगा व अपने अधिकारो से वचिंत रहना पडेगा। प्रार्थी को भारी असुवधिा का सामना करना पडेगा। अप्रार्थी का विवादित आराजी मे कोई अधिकार नही होने से उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना नही करना पडता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निषकर्ष पर पहूँचते है कि प्रार्थी का प्रा0 पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 का0 अधि0 प्रथम दृष्टया प्रकरण पूर्णतया साबित होता है। अतः यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे तथा अप्रार्थीगण के विरुद्व तय किया जाता है।

– आदेश –

चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन ओर अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में पाये गये है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.08.2023 को ताफैसला मूल वाद सम्पुष्ट की जाती है एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी आराजी हाल खसरा नम्बर 150/2.5800 हैक्टयर वाके ग्राम छाबडीवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० पर अपना जबरन कब्जा ना करे, ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल करे ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, मौका की यथास्थिति कायम रखें।

आज दिनांक 03/07/2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सुरेन्द्र प्रसाद
(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला खैरथल – तिजारा